रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082024-256543
CG-DL-E-22082024-256543

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 475] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946
No. 475] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 514(अ).— केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 179 (अ) तारीख 12 मार्च, 2024 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां, जनता को 12 मार्च, 2024 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2024 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उप नियम कहा गया है) के नियम 125 में,-

'(i) उपनियम (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2025 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 और एल7 श्रेणियों के यानों में फिट की गई सुरक्षा पेटी संयोजन और सुरक्षा पेटी एन्करेज क्रमशः आईएस 15140:2018 और आईएस 15139:2002 मानकों के अनुरुप होंगे :

परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम2, एम 3 और एन श्रेणियों के यानों में फिट की गई सुरक्षा पेटी संयोजन और सुरक्षा पेटी एन्करेज क्रमशः आईएस 15140:2018 और आईएस 15139:2002 मानकों के अनुरुप होंगे :

परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2025 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 और एल7 श्रेणियों के यानों में और 1 अप्रैल, 2026 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम2, एम 3 और एन श्रेणियों के यानों में सुरक्षा पेटियों और रोक प्रणालियों का प्रतिष्ठापन आईएस 16694:2018 मानकों के अनुरुप होगा ।";

(ii) उपनियम (1क) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 श्रेणी के यानों में फिट की गई सुरक्षा पेटी संयोजनों और सुरक्षा पेटी एन्करेज की विशिष्टियां क्रमशः आईएस 15140:2018 और आईएस 15139:2002 मानकों के अनुरुप होंगी :

परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2025 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 श्रेणी के यानों में सुरक्षा पेटियों और रोक प्रणालियों का प्रतिष्ठापन आईएस 16694:2018 मानकों के अनुरुप होगा ।";

(iii) उपनियम (9) और उपनियम (10) में "एआईएस-145-2017" अक्षरों और अंकों के स्थान पर "एआईएस-145-2018" अक्षर और अंक रखे जाएंगे ;

(iv) उपनियम (9) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु 1 अप्रैल, 2025 को और उसके पश्चात् विनिर्मित एम1 श्रेणी के यान में एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी अगली और पिछली सीटों में सुरक्षा पेटी अनुस्मारक की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे ।"

[फा. सं. आरटी-11036/15/2022-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. सं. 407(अ), तारीख 15 जुलाई, 2024 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 514(E).—WHEREAS, the draft rules to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 179(E), dated the 12th March, 2024, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public on the 12th March, 2024;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short Title and commencement**.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Tenth Amendment) Rules, 2024.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 125-

(i) in sub-rule (1) after the second proviso, the following shall be inserted, namely:–

"Provided also that safety belt assemblies and safety belt anchorages, fitted on vehicles of categories M1 and L7 manufactured on and after the 1st day of April 2025, shall conform to IS 15140:2018 and IS 15139:2002 standards, respectively.

Provided also that safety belt assemblies and safety belt anchorages, fitted on vehicles of categories M2, M3 and N manufactured on and after the 1st day of April 2026, shall conform to IS 15140:2018 and IS 15139:2002 standards, respectively.

Provided also that the installation of safety belts and restraint systems on vehicles of categories M1 and L7 manufactured on and after the 1st day of April 2025 and vehicles of categories M2, M3 and N manufactured on and after the 1st day of April 2026 shall conform to IS 16694:2018.";

(ii) in sub-rule (1A), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that for motor vehicles of category M1 manufactured on and after the 1st day of April 2025, the specifications of safety belt assemblies and safety belt anchorages in motor vehicles shall conform to IS 15140:2018 and IS 15139:2002 standards, respectively.

Provided further that the installation of safety belts and restraint systems on vehicles of M1 category manufactured on and after the 1st day of April 2025 shall conform to IS16694:2018."

(iii) in sub-rules (9) and (10) for the letters and figures "AIS-145-2017", the letters and figures "AIS-145-2018" shall be substituted;

(iv) in sub-rule (9) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the vehicles of category M1, manufactured on and after the 1st day of April 2025, shall meet the requirement of safety belt reminder for all front facing rear seats as per AIS-145-2018."

[F.No.RT-11036/15/2022-MVL]

Mahmood Ahmed, Addl. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 407(E), dated the 15th July, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.08.22 12:20:58 +05'30'